तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 246 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.20	अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़ जाति राजपूत निवासी 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.10..20 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी ने दिनांक 14.08.20 को पंजीकृत डाक कमांक RR985232016IN Jodhpur HO से तहसीलदार लूणी के नाम मेरे पत्रांक 22 दिनांक 14.08. 20 विषय आर्मस संबंधित रेकर्ड वर्ष 1997–98 / 2006.07 ढूंढकर प्रार्थी का गन लाईसेंस प्रदान करने हेतु पटवारी रिपोर्ट , एडीएम जोधपुर का पत्रांक 505 दिनांक 20.04.17 व आपका पत्रांक 708 दिनांक 31.08.12 भेजा था उपरोक्त पंजीकृत पत्र के साथ भेजे संलग्न प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा आज तक क्या कार्यवाही की सम्पूर्ण सूचना, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा जरिये दिनांक 26.10.20 को भ्रामक सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार लूणी) से जरिये पत्रांक 222 दिनांक 22.12.20 सूचनार्थ पत्र प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी को सूचित किया गया कि कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार वर्ष 1997–98 को जारी लाईसेंस(एम.एल.गन) सूची में आपके नाम शस्त्र जानी होना नहीं पाया गया जिस बाबत् आपको शस्त्र लाईसेंस उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने अपील दायर करने के पश्चात् प्रार्थी को सूचित किया गया अतः लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में किया जावे। प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है, अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	